AAI/CHQ/FA/REV/POLICY/2019 दिनांक : 10 सितम्बर, 20

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उक्षे/पक्षे/दक्षे/पूक्षे/उपूक्षे
दिल्ली/मुम्बई/चेन्नई/कोलकाता/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता /चेन्नई हवाईअड्डा

विषय : संशोधित क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) (01-04-2019) से प्रभावी – 23-07-2020 से यथा संशोधित।

महोदय,

1. 01-04-2019 से प्रभावी संशोधित कर्डिट पॉलिसी (ट्रैफिक) के कार्यान्वयन संबंधी इस कार्यालय के दिनांक 14-01-2019 के कार्यालय पत्र सं. AAI/CHQ/FA/REV/POLICY/2019/8926 का संदर्भ लें। अब, भाविप्रा बोर्ड ने दिनांक 23-07-2020 को आयोजित अपनी 194वीं बोर्ड बैठक में संशोधित क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) में निम्नलिखित संशोधन का अनुमोदन दिया है।
2. “अनुसूचित ऑपरेटरों (विदेशी और साथ ही घरेलू एयरलाइंस) द्वारा दी गई वर्तमान सुरक्षा जमा राशि पर विचार किया जाएगा और मौजूदा बकाया के साथ-साथ गैर-अनुसूची प्रचालन के कारण उत्पन्न होने वाली राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा जमा की उपलब्धता के अधीन होगा, ऐसी एयरलाइनों को उनके गैर-अनुसूची आवाजाही के लिए क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी।”
3. संशोधित रिवाइज्ड क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) 23-07-2020 से यथा संशोधित की प्रति संलग्न की जाती है।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि संशोधित क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) को आपके क्षेत्र/हवाईअड्डे पर सभी संबंधित निर्देशालयों/एयरलाइंस के संज्ञान में लाया जाए।

धन्यवाद।

भवदीय,
ह0
(आर.रमानी)
महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

संलग्नक : यथोक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :
महाप्रबंधक (वित्त) - उक्षे/पक्षे/दक्षे/पूक्षे/उपूक्षे क्षेत्र
महाप्रबंधक(वित्त)- कोलकाता/चेन्नई हवाईअड्डा
महाप्रबंधक(आईटी)निगमित मुख्यालय, को भाविप्रा की वेबसाइट पर निम्नलिखित पर अपलोड करने के लिए:
Services=>Airport Services=>Airports Credit Policy

AAI/CHQ/F&A/REV/CREDIT POLICY/AMENDMENT-21183 दिनांक: मार्च 16, 2021

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उक्षे/पक्षे/दक्षे/पूक्षे/उपूक्षे
दिल्ली/मुम्बई/चेन्नई/कोलकाता/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता /चेन्नई हवाईअड्डा

ṁ

विषय : भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) – संशोधित # 2

महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक 10-09-2020 के पत्र सं AAI/CHQ/FA/REV/POLICY/2019 का संदर्भ लें जिसके साथ 23-07-2020 से यथा संशोधित भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) संशोधन # 1 प्रेषित किया गया था।

2. भाविप्रा बोर्ड ने दिनांक 12/19-01-2021 को आयोजित अपनी 198वीं बैठक में भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी(ट्रैपिक) में निम्नलिखित संशोधनों की अनुमति प्रदान की है :

i) क्रम सं.3- क्रेडिट अवधि (सुरक्षा जमा राशि जमा करने पर) –चालान की तिथि से 15 दिन, 01-04-2021 से लागू

ii) क्रम सं. 6 - विलंबित भुगतान पर ब्याज - सभी घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय अनुसूचित/गैर-अनुसूचित एयरलाइनों/ऑपरेटरों के लिए बकाया मूल राशि पर 01-04-2021 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। (कृपया नोट करें कि क्रम सं. 6.1 यानी केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज)

3. 01-04-2021 से प्रभावी भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) संशोधन # 2 की एक प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इसके अलावा 01-04-2021 से प्रभावी भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) के संशोधन 2 के परिणाम स्वरूप विलंबित भुगतान पर ब्याज का नमूना गणना अनुलग्नक -2 के रूप में संलग्न है।

4 यह अनुरोध किया जाता है कि संशोधित भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) को आपके क्षेत्र के संबंधित निदेशालयों / हवाईअड्डों/एयरलाइनों के संज्ञान में लाया जाए।

धन्यवाद।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

ह0
(आर. रमानी)
महाप्रबंधक(वित्त)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-
अध्यक्ष महोदय का सचिवालय
सदस्य(मासं)/(प्रचालन)/(योजना) /(वित्त)/एएनएस)
कार्यपालक निदेशक(वित्त)-I व II /जवीसी
महाप्रबंधक(वित्त)- क्षेत्र /हवाईअड्डे/निगमित मुख्यालय
महाप्रबंधक(आईटी), निगमित मुख्यालय : को इस अनुरोद के साथ कि कृपया इसे भविप्रा की वेबसाइट पर Services=>Airport Services=>Airports Credit Policy में अपलोड करवा दिया जाए।

भाविप्रा क्रेडिट पॉलिसी (ट्रैफिक) 01-04-2019 से लागू
(23-07-2020 से यथा संशोधित)

	ब्यौरा	प्रस्तावित	
क्रम सं.		घरेलू- शेड्यूल एयरलाइंस/ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर के लिए	विदेशी शेड्यूल एयरलाइनों के लिए- भारत में लैंडिंग या एनएसओपी ओवर फ़्लाइंग
1	बिलिंग चक्र	पाक्षिक (15 दिन) आधार अर्थात 1 से 15 और 16 से माह शेष तक	साप्ताहिक आधार अर्थात 1-7; 8-15; 23 से माह शेष तक की अवधि
2	बिल जमा करने का सामान्य समय	बिलिंग चक्र समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर	बिलिंग चक्र समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर
3	क्रेडिट अवधि (सुरक्षा जमा राशि जमा करने पर)	चालान की तारीख से 10 दिन	चालान की तारीख से 10 दिन
4	सुरक्षा जमा राशि- विदेशी एयरलाइंस सहित शेड्यूल ऑपरेटर	बैंक गारंटी के मामले में औसत दो महीने के प्रचालन के बराबर और नकदी के मामले में 1.5 महीने के बराबर।	बैंक गारंटी के मामले में औसत दो महीने के प्रचालन के बराबर और नकदी के मामले में 1.5 महीने के बराबर।
4.1	नॉन-शेड्यूल ऑपरेटर	रु. 6 लाख प्रति विमान या औसत 2 महीने की बिलिंग, जो भी अधिक हो	रु. 6 लाख प्रति विमान या औसत 2 महीने की बिलिंग, जो भी अधिक हो
4.2	केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के मामले में	रु. 3 लाख प्रति एयरक्राफ्ट	लागू नहीं
5	सुरक्षा जमा राशि का रूप	या तो नकद या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारंटी	भारत में परिचालन करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या विदेशी बैंक की नकद या बैंक गारंटी
6	विलंबित भुगतान पर ब्याज	नियत तिथि से 30 दिनों तक विलंब होने पर 9% प्रति वर्ष की दर से, 30 दिनों से अधिक होने पर 12% प्रति वर्ष की दर से।	नियत तिथि से 30 दिनों तक विलंब होने पर 9% प्रति वर्ष की दर से, 30 दिनों से अधिक होने पर 12% प्रति वर्ष की दर से।
6.1	केंद्र/राज्य सरकार / भारत सरकार और पीएसयू द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज।	नियत तिथि से 30 दिनों तक विलंब होने पर 6% प्रति वर्ष की दर से, 30 दिनों से अधिक होने पर 12% प्रति वर्ष की दर से।	लागू नहीं
6.2	भुगतान में देरी होने पर कार्रवाई हो सकती है	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है: 1) बैंक गारंटी भुनाएं	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है: 1) बैंक गारंटी भुनाएं

		प्रस्तावित	
क्रम सं.	ब्यौरा	घरेलू- शेड्यूल एयरलाइंस/ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर के लिए	विदेशी शेड्यूल एयरलाइनों के लिए- भारत में लैंडिंग या एनएसओपी ओवर फ़्लाइंग
6	विलंबित भुगतान पर ब्याज	बकाया मूल राशि पर 30 दिन तक विलंब होने पर 9% प्रति वर्ष की दर से और 30 दिन से अधिक विलंब होने पर 31-03-2021 तक 18% प्रति वर्ष की दर से और 01-04-2021 से **@12% की दर से ब्याज लगेगा।	बकाया मूल राशि पर 30 दिन तक विलंब होने पर 9% प्रति वर्ष की दर से और 30 दिन से अधिक विलंब होने पर 31-03-2021 तक 18% प्रति वर्ष की दर से और 01-04-2021 से **@12% की दर से ब्याज लगेगा।
6.1	केंद्र/राज्य सरकार / भारत सरकार और पीएसयू द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज।	नियत तिथि से 30 दिनों तक विलंब होने पर 6% प्रति वर्ष की दर से, 30 दिनों से अधिक होने पर 12% प्रति वर्ष की दर से।	लागू नहीं
6.2	भुगतान में देरी होने पर कार्रवाई हो सकती है	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है: 1) बैंक गारंटी भुनाएं 2) ऑपरेशन को कैश एंड कैरी के आधार पर रखें 3) नीति के अनुसार एयरलाइंस द्वारा सुरक्षा जमा राशि जमा करने पर क्रेडिट सुविधा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है 4) नकदी में सुरक्षा के समायोजन या बकाया राशि के बदले बीजी के नकदीकरण के मामले में सबसे पहले इसका उपयोग ब्याज बकाया चुकाने के लिए किया जाएगा।	यदि बकाया बैंक गारंटी के 75% से अधिक है: 1)बैंक गारंटी भुनाएं 2)ऑपरेशन को कैश एंड कैरी के आधार पर रखें 3) ओवर फ़्लाइंग के मामले में - ऑपरेशन रोका जा सकता है 4) नकदी में सुरक्षा के समायोजन या बकाया राशि के बदले बीजी के नकदीकरण के मामले में सबसे पहले इसका उपयोग ब्याज बकाया चुकाने के लिए किया जाएगा।

**दिनांक 12/19.01.2021 को आयोजित 198वीं बोर्ड बैठक में यथा संशोधित।

		प्रस्तावित	
क्रम सं.	ब्यौरा	घरेलू- शेड्यूल एयरलाइंस/ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर के लिए	विदेशी शेड्यूल एयरलाइनों के लिए- भारत में लैंडिंग या एनएसओपी ओवर फ़्लाइंग
7	हवाईअड्डा शुल्क के भुगतान से छूट	क) भारत सरकार के निमंत्रण पर रक्षा विमान/विदेशी सैन्य विमान ख) वीवीआईपी उड़ानें जैसे कि किसी विदेशी राष्ट्र के प्रमुख द्वारा उपयोग किया जाने वाला विमान ग) खोज और बचाव उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला विमान घ) विमान जिन्हें नागर विमानन मंत्रालय (मोका) से छूट प्राप्त है ड.) एयर शो या विमानन संबंधी प्रदर्शनी का संचालन - आने-जाने के लिए एकमुश्त हवाई अड्डा शुल्क देय होगा च) टैरिफ नीति के अनुसार फ्लाइंग स्कूल	
8.	संशोधन # 1 23-07-2020 से प्रभावी, अनुसूचित ऑपरेटरों द्वारा गैर-अनुसूचित संचालन (23 जुलाई, 2020 को आयोजित 194वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 194.15 द्वारा संशोधित)	शेड्यूल ऑपरेटरों द्वारा दी गई वर्तमान सुरक्षा जमा राशि पर विचार किया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा जमा राशि की उपलब्धता के अधीन मौजूदा बकाया के साथ-साथ नॉन शेड्यूल संचालन के कारण उत्पन्न होने वाली राशि को कवर करने के लिए होगा, ऐसी एयरलाइनों को क्रेडिट सुविधा उनकी नॉन शेड्यूल गतिविधियाँ के लिए भी प्रदान की जाएगी।	शेड्यूल ऑपरेटरों द्वारा दी गई वर्तमान सुरक्षा जमा राशि पर विचार किया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा जमा राशि की उपलब्धता के अधीन मौजूदा बकाया के साथ-साथ नॉन शेड्यूल संचालन के कारण उत्पन्न होने वाली राशि को कवर करने के लिए होगा, ऐसी एयरलाइनों को क्रेडिट सुविधा उनकी नॉन शेड्यूल गतिविधियाँ के लिए भी प्रदान की जाएगी।

नोट:

1. शेड्यूल एयरलाइन को क्रेडिट सुविधा केवल अनुमोदित शेड्यूल और प्रस्तुत किए गए विमानों की सूची के अनुसार दी जाएगी और एनएसओपी के मामले में केवल विशिष्ट विमानों के लिए दी जाएगी। विमान के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व परिवर्तन की तारीख से क्रेडिट सुविधा वापस ले ली जाएगी। विमान के स्वामित्व में परिवर्तन के बारे में पार्टी को तुरंत भाविप्रा को सूचित करना आवश्यक है।

2. नकद में सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के जारी होने की तारीख से कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होगी और बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख के बाद दावा अवधि 3 महीने होगी।

4. बिल/चालान का न मिलना भुगतान न करने का वैध कारण नहीं होगा। पार्टी से बिलर डायरेक्ट लिंक पर पंजीकरण करने और बिलों को ऑनलाइन देखने का अनुरोध किया जाएगा और भाविप्रा बिल/चालान प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5. क्रेडिट सुविधा (घरेलू या विदेशी) वाली शेड्यूल एयरलाइंस के मामले में, किसी भी अन्य भाविप्रा हवाई अड्डे पर किसी भी कारण से आपातकालीन लैंडिंग/उड़ान का डायवर्जन किया जाता है, तो प्रचलित क्रेडिट सुविधा लागू होगी।

6. पार्टी को भेजी गई राशि का बिल-वार विवरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा भाविप्रा पहले देय ब्याज के विरुद्ध प्राप्त राशि को समायोजित करेगा, उसके बाद अधिशेष / शेष राशि, यदि कोई हो, को कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पुराने बकाया चालान / बिल में समायोजित करेगा। पार्टियों को भाविप्रा की बिलर डायरेक्ट सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी।

7. क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस द्वारा मेल द्वारा अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भाविप्रा को प्रस्तुत किए जाएंगे:

i) पंजीकरण का प्रमाणपत्र

ii) डीजीसीए द्वारा जारी उड़ानयोग्यता प्रमाणपत्र

iii) डीजीसीए द्वारा संचालन के शेड्यूल की मंजूरी।

iv) बिलिंग पता, फ़ोन नंबर. और मोबाइल नंबर, चालान भेजने के लिए ईमेल आईडी और संपर्क व्यक्ति का नाम।

v) नकद या बैंक गारंटी में सुरक्षा जमा राशि

vi) पैन न., टैन नं. और जीएसटीएन पंजीकरण प्रतिलिपि

vii) आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़